UPME010032002026

न्यायालय- विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय(पोक्सो अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

उपस्थितः:- मोहम्मद बाबर खान, एच०जे०एस०।

जे०ओ० कोड यू०पी० 02742

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या- 1123 सन् 2026

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 887 सन् 2026

सावेज पुत्र गुलफाम, निवासी ग्राम उलधन, थाना खरखौदा, जनपद मेरठ।

..... प्रार्थी/अभियुक्त।

----बनाम----

उत्तर प्रदेश सरकार ..... अभियोजन।

मु०अ०सं०- 200/2023
धारा- 363 भा०द०सं०।
थाना- खरखौदा, जिला मेरठ।

राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता- श्री नरेन्द्र चौहान एवं श्री अवकाश जैन।
प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता- श्री संजीव कुमार शर्मा।

दिनांक 09.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त सावेज पुत्र गुलफाम की ओर से सत्रवाद संख्या 163/2024, सरकार बनाम शाहवेज, मु०अ०सं० 200/2023, अन्तर्गत धारा 363 भा०द०सं०, थाना खरखौदा, जिला मेरठ के प्रकरण में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन कथानक के अनुसार संक्षेप में कथन है कि वादी ग्राम उलधन, थाना खरखौदा, जिला मेरठ का रहने वाला है। वादी की नाबालिग लड़की पीड़िता आयु 15 वर्ष जो दिनांक 09.05.2023 को सुबह घर पर नहीं थी, आस-पास के कैमरों से देखा, तो रात 12.03 बजे पर जाती दिखी। काफी तलाश किया, तो नहीं मिली। तभी गांव के ही असलम पुत्र शमशाद एवं वसीम पुत्र खिलाफत ने बताया कि वादी की लड़की पीड़िता को गांव के ही शाहवेज पुत्र गुलफाम व गुलफाम पुत्र ननवा तथा श्रीमती अमीर जहां पत्नी गुलफाम के साथ जाते हुए देखा है। ये लोग उसकी लड़की को बहला फुसलाकर ले गये हैं। उसने घर पर सामान तलाश किया, तो घर में रखे 67 हजार रूपये व सोने के पांच तोला के जेवर, जो उसकी पत्नी के थे, वो अपने साथ ले गयी है। वादी की रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे उपरोक्त केस में झूंठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की मुख्य अपराध धारा 366, 368, 376(3), 506, 120B भा०द०सं० एवं 3/4(2), 16/17 पोक्सो अधिनियम में जमानत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 25.02.2026 को स्वीकार की जा चुका है, जिसकी प्रति संलग्न है। पीड़िता ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि वह घर से अपने-आप गयी थी। प्रार्थी/अभियुक्त एक सम्मानित परिवार का सदस्य है, वह पूर्व में सजायाफ्ता नहीं है, बाद जमानत उसके फरार होने का कोई अन्देशा नहीं है, वह कारागार में निरूद्ध है। अतः उनकी ओर से प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयन्त्र के तहत वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री, जिसकी उम्र घटना के समय करीब 15 वर्ष रही है, को उसके विधिक संरक्षक की संरक्षिता में से बहला फुसलाकर ले जाकर उसका व्यपहरण किया गया तथा उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्संग कर प्रवेशन लैगिक हमला कारित किया गया है। पीड़िता द्वारा अपने बयान धारा 161 व 164 द०प्र०सं० में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर

प्रकृति का है। अतः उनकी ओर से अभियुक्त को जमानत दिये जाने का विरोध किया गया।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजन के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री पीड़िता, जिसकी उम्र घटना के समय करीब 15 वर्ष रही है, को उसके विधिक संरक्षक की संरक्षिता में से बहला फुसलाकर ले जाने का कथन किया गया है। प्रकरण में दौरान विवेचना धारा 366, 368, 376(3), 506, 120B भा०द०सं० एवं 3/4(2), 16/17 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस. बेल ऐप्लीकेशन संख्या 37306/2024, शाहवेज बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं 3 अन्य में पारित आदेश दिनांकित 25.02.2026 के द्वारा अभियुक्त की जमानत उपरोक्त मुकदमें में धारा 366, 368, 376(3), 506, 120B भा०द०सं० एवं 3/4(2), 16/17 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकार की जा चुकी है। इस प्रकार अभियुक्त की मुख्य अपराध में जमानत स्वीकृत हो चुकी है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। प्रकरण में विवेचना समाप्ति के उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है।

अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियो के दृष्टिगत, प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सावेज पुत्र गुलफाम की ओर से सत्रवाद संख्या 163/2024, सरकार बनाम शाहवेज, मु०अ०सं० 200/2023, अन्तर्गत धारा 363 भा०द०सं०, थाना खरखौदा, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में दाखिल व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं प्रतिभूपत्र पर ही अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

इस आदेश की एक प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को सूचनार्थ जिला कारागार, मेरठ को प्रेषित की जाये।

दिनांक 09.03.2026

(मोहम्मद बाबर खान)
विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय (पोक्सो अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 02742